SE(ITIC)
Receipt No. 8008
Date 2 MAR 2017
DGM (IT) / SE (O)
EE ....
Section ....

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्रीमती भारती पेंढ़ारकर अति0 महाप्रबंधक (मा.सं.) छ0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0,रायपुर
दूरभाष क्रं. –0771–2574040

अपील प्रकरण क्रमांक 04/2017 दिनांक 25.01.2017

श्री सर्वेन्द्र कुमार शुक्ला,
क्वाटर नबंर–05/बी,
स्ट्रीट नबंर–35, सेक्टर–10,
भिलाई नगर, दुर्ग (छ.ग.)
पिन नबंर– 490006

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री व्ही. आर. मौर्या
जनसूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0,
डंगनिया– रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 22.02.2017 को पारित)

अपीलार्थी श्री सर्वेन्द्र कुमार शुक्ला की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 04/2017 दिनांक 25.01.2017 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) अपीलार्थी श्री सर्वेन्द्र कुमार शुक्ला का अपील पक्ष कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उनके द्वारा निम्न बिन्दुओं में जानकारी चाही गई है:–

(अ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों में से रिक्त पदों की संख्या
(ब) उपरोक्त सीधी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।
(स) उपरोक्त भर्ती प्रकिया के सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहता हूँ। प्रक्रिया जहाँ तक पूर्ण हो चुकी है। आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त जानकारी के संदर्भ में जनसूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 25.01.2017 को जो जानकारी मुझें प्रदान की गई है उससे प्रार्थी असंतुष्ट है। अतएव मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार कर चाही गई बिन्दुओं की जानकारी/दस्तावेज जल्द से जल्द प्रदान करने की कृपा करें और मैंने जो अपील 25.01.2017 का लगाई है, उस पर कार्यवाही की जाये।

(3) उपरोक्त दर्ज प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क. –04/2017/16 दिनांक 06.02.2017 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी को दिनांक **22.02.2017** को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –11 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री सर्वेन्द्र कुमार शुक्ला को भी उनके द्वारा दी गई उनके पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। निर्धारित तिथि को प्रतिअपीलार्थी

जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी श्री सर्वेन्द्र कुमार शुक्ला उपस्थित हुए। तत्पश्चात् अपील प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही की गई।

(4) निर्धारित तिथि 22.02.2017 को प्रतिअपीलार्थी श्री व्ही. आर. मौर्या जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0, रायपुर के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक श्री सर्वेन्द्र कुमार शुक्ला द्वारा अपने आवेदन दिनांक 15.12.2016 के माध्यम से सीधी भर्ती सूचना क्रमांक 01–04/एच.आर.–आठ/3429 दिनांक 03.11.2014 के तहत कनिष्ठ अभियंता (प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया था। जिसमें आवेदक द्वारा निम्नानुसार जानकारी चाही गई है:–

(अ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों में से रिक्त पदों की संख्या।
(ब) उपरोक्त सीधी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।
(स) उपरोक्त सीधी भर्ती प्रकिया के सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहता हूँ। आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति प्रदान करने की कृपा करें।

(i) उपरोक्त जानकारी प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण पत्र क्रमांक 10353 दिनांक 19.12.2016 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा कार्यालयीन यू. ओ. नोट क्रमांक 32 दिनांक 11.01.2017 के माध्यम से अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं में चाही गई जानकारी हेतु उन्हें किसी भी कार्यालयीन समय एवं दिवस में नस्ती के अवलोकन हेतु बुलाया जा सकता है। वे इस कार्यालय में उपस्थित होकर नस्ती का अवलोकन करें एवं चाहे गये दस्तावेजों को चिन्हित करें। चिन्हित करने के उपरांत उन्हें उपरोक्त दस्तावेज प्रदान किया जा सकता है।

(ii) तत्पश्चात् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 01–04/ज.सू.अ.–114/2016/69 दिनांक 12.01.2017 के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदक को यह अवगत कराया गया है कि **"आप किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं समय पर पूर्व सूचना के (दूरभाष क्रमांक 0771–2574157 में संपर्क स्थापित कर) इस कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित अभिलेखों/नस्तियों का अवलोकन कर जानकारी चिन्हित करने का कष्ट करें। तद्पश्चात् चिन्हित जानकारी/दस्तावेज आपको नियमानुसार उपलब्ध करा दी जावेगी।"**

(iii) **आवेदक श्री शुक्ला द्वारा दिनांक 25.01.2017 को कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेजों/अभिलेखों का अवलोकन किये बगैर ही सीधे प्रथम अपील आवेदन दर्ज की गई है, जो तर्कहीन है। जहाँ तक आवेदक द्वारा अपील सुनवाई के दौरान अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.02.2017 में किये गये टीप "घरवाले जानना चाह रहे हैं की जानकारी 10 महीने देरी से क्यों उपलब्ध कराई जा रही है" के संबंध में लेख है कि आवेदक द्वारा बिंदु क्रमांक 03 के द्वारा संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किये जाने हेतु लेख किया गया है, जिसमें बिंदु क्रमांक 01 एवं 02 की जानकारी भी समाहित है। जिस हेतु आवेदक को नियमानुसार दस्तावेज का अवलोकन कराये जाने बाबत् कंडिका 04 (ii) के माध्यम से सूचित किया गया है। अतएव आवेदक को चाहिए था कि वे संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर जानकारी/दस्तावेज प्राप्त करते। तद्पश्चात्, यदि वे जानकारी से संतुष्ट नही होते तो ही अपील आवेदन दर्ज किया जाना था, जो उचित व नियमानुसार सही होता। अतः दस्तावेज अवलोकन/चिन्हांकन के अभाव में आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।**

(iv) आवेदक द्वारा पूर्व आवेदन दिनांक 02.03.2016 के द्वारा 03 बिंदुओं में निम्नलिखित जानकारी चाही गई थी :—

- मुझे काउंसिलिंग के लिये दो बार दिनांक 19.03.2015 और 19.08.2015 को बुलाया गया, लेकिन मेरा चयन नही होने का कारण क्या है।
- क्या उपरोक्त सीधी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।
- उपरोक्त सीधी भर्ती प्रकिया के सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहता हूँ। आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति प्रदान करने की कृपा करें।

जिसके संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1143 दिनांक 17.03.2016 के साथ 01 पृष्ठ में जानकारी उपलब्ध कराते हुए बिंदु क्रमांक 03 के संबंध में दस्तावेज अवलोकन किये जाने हेतु आवेदक को सूचित किया गया था किंतु आवेदक द्वारा आज दिनांक तक संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन नही किया गया है।

(v) उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा पूर्व में भी पृथक—पृथक आवेदन दिनांक 18.05.2016, दिनांक 27.08.2016 एवं दिनांक 06.10.2016 के माध्यम से कंडिका 04 में उल्लेखित विषयवस्तु की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् मांगी गई थी। जिसके तारतम्य में आवेदक को क्रमशः पत्र क्रमांक 2065 दिनांक 02.07.2016, क्रमांक 8090 दिनांक 06.10.2016 एवं क्रमांक 10289 दिनांक 09.12.2016 के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर प्रकरणों की वस्तुस्थिति/जानकारी से अवगत करायी गयी है, कि **"उक्त भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नही हुई है, अतः नियमानुसार प्रक्रिया पूरी किये जाने तक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।"**

जिसके अनुक्रम में आवेदक द्वारा आवेदन दिनांक 18.05.2016 में उपलब्ध करायी गई जानकारी पर असंतोष व्यक्त करते हुए प्रथम अपील आवेदन दर्ज की गई थी। जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम में निहित तथ्यों के अंतर्गत सुनवाई कर उक्त आवेदन को अस्वीकार कर आदेश क्रमांक 46 दिनांक 09.08.2016 के द्वारा प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।

(vi) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय 11 मार्च, 2015 श्री सरजियस मिन्ज, तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग रायपुर, द्वारा प्रशिक्षण के दौरान प्रदाय किये गये सूचना का अधिकार से संबंधित निर्णय/आदेश के पृष्ठ क्रमांक 19 के पैरा क्रमांक 02 में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी सेवा के लिए चयन प्रकिया नागरिकगण को देखने का अधिकार है और उसे दिखाये जाने से इंकार किया जाना अनुचित है। चयन प्रकिया पूर्ण हो जाने के उपरांत उसे किसी भी तरह रोके रखना विधिसम्मत् नही है। वाघेला बी.डी.वि. भारतीय तेल निगम लि. 2195/आई.सी.(ए) 2008 दिनांक 04.04.2008।

अतएव कंडिका 4 (v) में उल्लेखित कालावधि में उक्त भर्ती प्रकिया, तत्कालीन समय में प्रक्रियाधीन होने के कारण आवेदक को जानकारी एवं दस्तावेजों का अवलोकन कराया जाना संभव नही था। चूंकि वर्तमान में प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, अतएव आवेदक संबंधित जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन एवं चिन्हित कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(5) उपरोक्त निर्धारित सुनवाई तिथि 22.02.2017 को प्रतिअपीलार्थी तथा अपीलार्थी उपस्थित हुए। तत्पश्चात् अपील प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

उक्त तिथि को प्रकरण से संबंधित दस्तावेजो/अभिलेखों का अवलोकन करते हुए दोनो पक्षों के तर्क श्रवण किये गये। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक विशिष्ट अधिनियम है, जिसमें प्रथम अपील प्रकरण के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित हैं।

उक्त अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट वह कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप ग्राहय हो।

उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी श्री शुक्ला द्वारा आवेदन दिनांक 15.12.2016 के माध्यम से कनिष्ठ यंत्री (प्रशिक्षु) के पद हेतु भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों में से रिक्त पदों की संख्या तथा उक्त भर्ती प्रकिया के सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन करने का लेख किया गया है। जिसके संदर्भ में जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर दस्तावेज अवलोकन हेतु सूचित किये जाने के पश्चात् भी अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज अवलोकन न कर सीधे प्रथम अपील आवेदन यह कहते हुए दर्ज की गई है कि वे जनसूचना अधिकारी द्वारा दिये गये जानकारी से संतुष्ट नहीं है। जबकि उनके द्वारा दस्तावेजों का न तो अवलोकन किया गया है और न ही जानकारी चिन्हित कर प्राप्त की गई है। अतः प्रकरण पर जनसूचना अधिकारी द्वारा विधिसंगत एवं न्यायसंगत कार्यवाही की गई है, जो उचित व सही परिलक्षित होती है, जो स्वीकार योग्य है।

सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा भिन्न विषयवस्तु का एक आवेदन दिनांक 22.02.2017 प्रस्तुत किया गया। जिसमें टीप "घरवाले जानना चाह रहे है की जानकारी 10 महीने देरी से क्यों उपलब्ध कराई जा रही है" का उत्तर दिये जाने बाबत् निवेदन किया गया। जिसके संबंध में लेख है कि आवेदन दिनांक 15.12.2016 एवं आवेदन दिनांक 22.02.2017 में निहित विषयवस्तु में भिन्नताएं है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा उक्त आवेदन में भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों में से रिक्त पदों की संख्या तथा उक्त भर्ती प्रकिया के सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन करने का लेख किया गया है। इसमें यह कहीं उल्लेख नही है कि जानकारी 10 महीने की देरी से क्यों उपलब्ध करायी जा रही है।

इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि, अपीलार्थी द्वारा कंडिका 4(v) में उल्लेखित आवेदनों के माध्यम से कनिष्ठ यंत्री (प्रशिक्षु) के भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जानकारी/दस्तावेज चाही गई है। चूंकि उपरोक्त कालखंडो में भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण नही हुई थी, वस्तुतः भर्ती प्रक्रियाधीन होने के कारण जानकारी उपलब्ध नही करायी गई है। अतः अपीलार्थी का यह तर्क कि जानकारी 10 महीने की देरी से उपलब्ध करायी जा रही है, जो तर्कहीन व निराधार है।

उक्त सुनवाई के दौरान भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों के अवलोकन करने के प्रश्न पर अपीलार्थी द्वारा यह अवगत कराया गया कि वह संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन पृथक रूप से किसी भी कार्यालयीन दिवस/समय पर किये जाने हेतु सहमत है।

जहां तक अपील का प्रश्न है, कंडिका 4 (vi) में निहित तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी वांछित जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन कर प्राप्त कर सकतें है। अतएव अपीलार्थी श्री सर्वेन्द्र कुमार शुक्ला को निर्देशित किया जाता है कि वे किसी भी कार्यालयीन दिवस/समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित दस्तोवजों/अभिलेखों का अवलोकन कर जानकारी/दस्तावेज चिन्हित करें, तत्पश्चात् चिन्हित जानकारी/दस्तावेज उन्हें सःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। अतएव अपील प्रकरण क्रमांक 04/2017 दिनांक 25.01.2017 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

(श्रीमती भारती पेंढारकर)
अपीलीय अधिकारी
सह अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574040

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –04/2017/ 19 रायपुर, दिनांक 28/02/2017

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो ,छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, छ.रा.वि.हो.कं.मर्या. रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री सर्वेन्द्र कुमार शुक्ला, क्वाटर नबंर–05/बी, स्ट्रीट नबंर–35, सेक्टर–10, भिलाई नगर, दुर्ग (छ.ग.) पिन नबंर– 490006 को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता (EITC) ,छ.रा.वि.वि.कं.मर्या, रायपुर, उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निर्धारित पंजीयन शुल्क सहित निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
पुराना मंत्रालय (डी.के.एस.भवन)
परिसर स्थित इन्द्रावती खण्ड,
प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर
492001, (छ0ग0)
दूरभाष–0771–4024235,2444151

(श्रीमती भारती पेंढारकर)
अपीलीय अधिकारी
सह अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574040